



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कार्यालय - होशंगाबाद मार्ग, भोपाल - 462026

क्र. डी-262 / छा0क0/नि0छा0/2020-21

भोपाल दिनांक 18/01/2021

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों में अध्ययनरत निर्धन छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/08/2014 पद क्रमांक 24/7/31 में विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित कर नियमों का निर्धारण किया गया था। निर्धन छात्रों के शिक्षण शुल्क हेतु वित्तीय सहायता के लिए आयोजित बैठक दिनांक 07.08.2018 के कार्यवृत्त के अनुसार निम्नलिखित मापदण्ड पूर्ण करने वाले विद्यार्थी निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपने आवेदन पत्र दिनांक 30 जनवरी 2021 तक छात्र कल्याण विभाग में जमा कर सकते हैं। निर्धन विद्यार्थियों हेतु योग्यता/पात्रता एवं अन्य नियम निम्नानुसार है:-

1. निर्धन छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जमा करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2021 है।
2. निर्धन छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता हेतु पात्रता राज्य शासन द्वारा निर्धारित बी.पी.एल. कार्ड, तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र एवं परिवार के मुखिया द्वारा शपथ प्रमाण पत्र जिसमें उल्लेख करना होगा कि हमारे परिवार की वार्षिक आय रुपये 75000/- (पचहत्तर हजार रु.) से अधिक नहीं है तथा मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र अन्य किसी भी शासकीय संस्थान में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के सामान्य पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क में पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु सहयोग राशि प्रदान की जावेगी।
4. विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षण विभाग में बी0यू0आई0टी0, फार्मैसी, प्रबंध (एम बी ए) एवं विधि विभाग के छात्रों को ही मान्य किया जावेगा।
5. निर्धन छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क में सहयोग राशि प्रदान करने हेतु समिति का गठन किया जाकर समिति के निर्णय अनुसार शिक्षण शुल्क राशि प्रदान की जावेगी। समिति द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं को अनुशंसा के आधार पर ही शिक्षण शुल्क में सहयोग की राशि स्वीकृत की जावेगी।
6. निर्धन छात्रों को शिक्षण शुल्क हेतु वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय के बजट मद क्रमांक 24 (5) से विकलनीय होगी।
7. शिक्षण शुल्क में सहयोग राशि केवल चार छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष प्रदान की जा सकेगी, जिनमें व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं सामान्य पाठ्यक्रम के दो-दो छात्र/छात्राओं को दी जावेगी।
8. निर्धन विद्यार्थी संलग्न आवेदन पत्र प्रारूप के साथ अपने माता-पिता एवं स्वयं का आधार कार्ड की प्रति भी अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।
9. आवेदन पत्र एवं समस्त संलग्न प्रमाण-पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष से सत्यापित एवं अग्रेषित होना चाहिए।
10. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल


④

.....2

पृ.क्रमांक डी-263/छा0क0/नि0छ0/2021

भोपाल दिनांक 19/01/2021

1. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग, बरकतउल्ला वि0वि0 भोपाल की ओर इस आशय के साथ कि अधिसूचना को सूचना पटल पर चस्पा एवं विद्यार्थियों को ऑनलाईन क्लास/ कक्षा में अवगत कराने का कष्ट करे।
2. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति जी एवं कुलसचिव जी की ओर सादर सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक, एवं अंकक्षण विभाग, बरकतउल्ला वि0वि0 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी,वेबसाइट सेल बरकतउल्ला वि0वि0 भोपाल की ओर इस आशय के साथ कि अधिसूचना एवं संलग्न आवेदन पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे, ताकि विद्यार्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सके।
5. नस्ती।


21/1/21
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

निर्घन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता

आवेदन-पत्र

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20.08.2014 पद क्रमांक 14/07/31 के अनुसार आवेदन-पत्र
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग का नाम.....
प्रति,

अधिष्ठाता,

छात्र कल्याण

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

महोदय,

मैं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के
विभाग का नियमित छात्र हूँ। मेरा प्रवेश राज्य शासन/विश्वविद्यालय के नियमानुसार हुआ है।
मेरी वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन से वित्तीय सहयोग हेतु निवेदन
करता हूँ/ करती हूँ मेरा समस्त विवरण निम्नानुसार है।

विभागाध्यक्ष
द्वारा
सत्यापित
फोटो

1. आवेदक का नाम
2. पिता/ पति का नाम
3. माता का नाम
4. जन्म तिथि
- (प्रमाण हेतु अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें)
5. पाठ्यक्रम का नाम
6. जाति (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/मिछड़ा वर्ग) सामान्य/व्यावसायिक
7. स्थाई पता
8. पत्र व्यवहार का पता
9. वार्षिक आय
10. वचन-पत्र किसी अन्य सरकारी संस्थान या वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त किया है का शपथ-पत्र
11. वांछित वित्तीय सहायता रूपये में
12. प्रवेश की तिथि
13. अंतिम प्रमाण-पत्र (शिक्षण) संलग्न करें (रसीद संलग्न करें)

मोबाइल नम्बर

मोबाइल नम्बर

सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

नोट- समस्त दस्तावेज विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें।